भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3211
दिनांक 21.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल के प्राचीन स्रोतों का पुनरुद्धार

3211. श्री गजानन कीर्तिकर:
श्री कृपाल बालाजी तुमाने:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में सभी लोगों को पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) क्या सरकार का पेयजल के गंभीर संकट से निपटने के लिए पेयजल के प्राचीन स्रोतों के पुनरुद्धार हेतु कोई कार्ययोजना बनाने का विचार है;
(ग) यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) महाराष्ट्र के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों, विशेषकर रामटेक-नागपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल के प्रमुख स्रोतों के रूप में उक्त योजना में शामिल किए गए बांधों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) संबंधित बांधों से जल की आपूर्ति का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा और इससे संबंधित योजनाओं के नाम क्या हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री राजीव चन्द्रशेखर)

(क) से (ङ): भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को निर्धारित गुणवत्ता के साथ पर्याप्त मात्रा में तथा नियमित और दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित और पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य के लिए, भारत सरकार ने अगस्त 2019 में महाराष्ट्र सहित राज्यों की भागीदारी से कार्यान्वित किए जाने वाले जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत की। पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

देश में जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से ग्रामीण परिवारों के लिए नल जल की सुविधा का विस्तार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की

शुरुआत के समय, केवल 3.23 करोड़ (16.8%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, दिनांक 19.12.2023 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, लगभग 10.62 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, दिनांक 19.12.2023 की स्थिति के अनुसार, देश के 19.24 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 13.85 करोड़ (72%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति उपलब्ध होने की सूचना है।

जल आपूर्ति राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण तथा कुशल प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कदम उठाए जाते हैं। जेजेएम के अंतर्गत, जल स्रोतों में अन्य बातों के साथ-साथ भूजल (खुला कुआं, बोरवेल, ट्यूबवेल, हैंडपंप आदि), प्राचीन और पारंपरिक सतही जल (नदी, जलाशय, झील, तालाब, झरने आदि) और छोटे टैंकों में संग्रहीत वर्षा जल का उपयोग पेयजल आपूर्ति स्कीमों के लिए स्रोतों के रूप में किया जा रहा है। इस स्कीम के लिए जल स्रोत सहित ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए अलग-अलग परियोजनाओं/स्कीमों का ब्यौरा भारत सरकार के स्तर पर नहीं रखा जाता है। जेजेएम के अंतर्गत, पेयजल स्रोतों के विकास/सुदृढ़ीकरण/संवर्धन और गांव में जल आपूर्ति अवसंरचना के सृजन के अलावा, जल की कमी वाले सूखाग्रस्त और भरोसेमंद भूजल स्रोतों के बिना रेगिस्तानी क्षेत्रों में पानी के थोक अंतरण, शोधन तथा वितरण प्रणालियों हेतु अवसंरचना के लिए प्रावधान किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, ग्राम स्तर पर अन्य योजनाओं यथा मनरेगा, 15वें वित्त आयोग द्वारा आरएलबी/पंचायती राज संस्थाओं को सशर्त अनुदान, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), राज्य स्कीमों, जिला खनिज विकास निधि, सीएसआर निधियों, सामुदायिक अंशदान आदि के साथ अभिसरण में स्थानीय पेयजल स्रोतों के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण के प्रावधान भी जेजेएम के अंतर्गत परिकल्पित हैं।

महाराष्ट्र राज्य में जेजेएम के अंतर्गत पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्रोतों के रूप में उपयोग किए जाने वाले बांधों का ब्यौरा इस विभाग द्वारा नहीं रखा जाता है।

*****